रजिस्ट्री सं॰ डी॰-221 REGISTERED NO. D.-221

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122020-223763
CG-DL-E-18122020-223763

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2 — अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 1] नई दिल्ली, मंगलवार, 11 फरवरी, 2020/22 माघ,1941(शक) [खंड LVI
No. 1] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2020/MAGHA 22, 1941 (SAKA) [VOL. LVI

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2020/22 माघ, 1941 (शक)

दि स्पेशल इकोनोमिक जोन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019; (2) दि जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019; (3) दि सेन्ट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (रिजर्वेशन इन टीचर्स काडर) ऐक्ट, 2019; (4) दि होम्योपैथी सेन्ट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019; (5) दि इंडियन मेडिकल काउंसिल (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019; (6) दि डेंटिस्ट्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019; (7) दि आधार एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019; (8) दि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019; (9) दि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019; (10) दि न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ऐक्ट, 2019; (11) दि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019; (12) दि मुस्लिम वुमैन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) ऐक्ट, 2019; (13) दि राइट टू इन्फोरमेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019; (14) दि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सुअल आफेंसेज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019; (15) दि इन्सोलवैंसी एंड बैंकरपट्सी कोड (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019; और (16) दि सिटीजनशिप (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
New Delhi, February 11, 2020/Magha 22, 1941 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely:—The Special Economic Zone (Amendment) Act, 2019; (2) The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Act, 2019; (3) The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers, Cadre) Act, 2019; (4) The Homoeopathy Central Council (Amendment) Act, 2019; (5) The Indian Medical Council (Amendment) Act, 2019; (6) The Dentists (Amendment) Act, 2019; (7) The Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019; (8) The Central Universities (Amendment) Act, 2019; (9) The National Investigation Agency (Amendment) Act, 2019; (10) The New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019; (11) The Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019; (12) The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019; (13) The Right to Information (Amendment) Act, 2019; (14) The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Act, 2019; (15) The Insolvency and Bankruptcy (Amendment) Act, 2019 and (16) The Citizenship (Amendment) Act, 2019; are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

पृष्ठ

विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 8) 03
The Special Economic Zone (Amendment) Act, 2019
जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 9) 05
The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Act, 2019
केंद्रीय शिक्षा संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 10)..... 07
The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers, Cadre) Act, 2019
होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 11) 11
The Homoeopathy Central Council (Amendment) Act, 2019
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 12)..... 13
The Indian Medical Council (Amendment) Act, 2019
दन्त-चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 13) 15
The Dentists (Amendment) Act, 2019
आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 14)..... 17
The Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 15) 29
The Central Universities (Amendment) Act, 2019
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 16) 31
The National Investigation Agency (Amendment) Act, 2019
नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 17) 35
The New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019
मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 19) 47
The Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 20)..... 51
The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019
सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 24) 53
The Right to Information (Amendment) Act, 2019
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 25)..... 55
The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Act, 2019
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 26) 59
The Insolvency and Bankruptcy (Amendment) Act, 2019
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 47) 63
The Citizenship (Amendment) Act, 2019

विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 8)

[6 जुलाई, 2019]

विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह 2 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

2005 का 28

2. विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (फ) में,—

(i) ''स्थानीय प्राधिकारी'' शब्दों के पश्चात्, '', न्यास या कोई अस्तित्व, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) ''प्राधिकारी या कंपनी'' शब्दों के स्थान पर, ''प्राधिकारी, कंपनी, न्यास या अस्तित्व'' शब्द रखे जाएंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां।

3. (1) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

2019 का अध्यादेश सं॰ 12

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

———

जम्मू–कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 9)

[9 जुलाई, 2019]

जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह 1 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

2. जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) 2004 का 14
की धारा 2 के खंड (ण) में,—

(क) उपखंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ii) वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्र में निवास कर रहे व्यक्ति; और'' ;

(ख) दूसरे परंतुक के, खंड (ix) में, परंतुक में ''वास्तविक नियंत्रण रेखा'' शब्दों के स्थान पर ''वास्तविक नियंत्रण रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में, ''वास्तविक नियंत्रण रेखा'' शब्द जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर ''वास्तविक नियंत्रण रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा'' शब्द रखे जाएंगे।

निरसन और व्यावृत्ति।

4. (1) जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का निरसन किया जाता है। 2019 का अध्यादेश सं॰ 8

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

———

केंद्रीय शिक्षा संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 10)

[9 जुलाई, 2019]

केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायताप्राप्त कतिपय केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में, शिक्षकों के काडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय शिक्षा संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह 7 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

1956 का 3

(क) ''समुचित प्राधिकरण'' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी केंद्रीय शिक्षा संस्था में उच्चतर शिक्षा के मानकों के अवधारण, समन्वय या अनुरक्षण के लिए किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई भी अन्य प्राधिकरण या निकाय अभिप्रेत है;

(ख) ''अध्ययन शाखा'' से बैचलर (स्नातक), मास्टर्स (स्नातकोत्तर) और डॉक्टरल स्तरों पर अर्हताओं के तीन प्रधान स्तर दिलाने वाली अध्ययन की कोई शाखा अभिप्रेत है;

(ग) ''केंद्रीय शिक्षा संस्था'' से—

(*i*) किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय;

(*ii*) संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व की कोई संस्था;

(*iii*) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था के रूप में घोषित कोई संस्था और जो केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली या उससे सहायता पाने वाली संस्था हो; 1956 का 3

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चलाई जाने वाली या उससे सहायता पाने वाली कोई संस्था और जो उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी संस्था से सहबद्ध हो या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी संस्था की घटक इकाई हो; और

(*v*) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई शिक्षा संस्था, अभिप्रेत है; 1860 का 21

(घ) ''सीधी भर्ती'' से किसी केंद्रीय शिक्षा संस्था में शिक्षण के लिए पात्र व्यक्तियों से लोक विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित करके संकाय सदस्य नियुक्त करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ङ) ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों'' से ऐसे कमजोर वर्ग अभिप्रेत हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (6) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट हैं;

(च) ''संकाय'' से केंद्रीय शिक्षा संस्था का संकाय अभिप्रेत है;

(छ) ''अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था'' से संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) के अधीन अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित कोई संस्था अभिप्रेत है और जिसे संसद् के किसी अधिनियम द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा घोषित किया गया है या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 के अधीन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में घोषित किया गया है; 2005 का 2

(ज) ''स्वीकृत पदसंख्या'' से शिक्षकों के काडर में समुचित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पदों की संख्या अभिप्रेत है;

(झ) ''अनुसूचित जातियों'' से संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन अधिसूचित अनुसूचित जातियां अभिप्रेत है;

(ञ) ''अनुसूचित जनजातियों'' से संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अधिसूचित अनुसूचित जनजातियां अभिप्रेत हैं;

(ट) ''सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग'' से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 342क के अधीन इस प्रकार समझे गए हैं;

(ठ) ''शिक्षकों का काडर'' से अध्ययन या संकाय की शाखा को ध्यान में लाए बिना किसी केन्द्रीय शिक्षा संस्था के सभी शिक्षकों का वर्ग अभिप्रेत है, जो उसी ग्रेड वेतन में प्रगणित हैं, जिसमें कोई भी भत्ता या बोनस सम्मिलित नहीं हैं।

केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं द्वारा भर्तियों में पदों का आरक्षण।

3. (1) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी केन्द्रीय शिक्षा संस्था में शिक्षकों के काडर में स्वीकृत संख्या में से सीधी भर्ती में पदों का आरक्षण उस सीमा तक और ऐसी रीति में होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) पदों के आरक्षण के प्रयोजनों के लिए किसी केन्द्रीय शिक्षा संस्था को एक इकाई माना जाएगा।

कतिपय मामलों में अधिनियम का लागू न होना।

4. (1) धारा 3 के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे—

(क) इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्कर्ष संस्थाएं, अनुसंधान संस्थाएं, राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व की संस्थाएं;

(ख) कोई अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट अनुसूची को समय-समय पर संशोधित कर सकेगी।

अधिसूचनाओं का संसद् के समक्ष रखा जाना।

5. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगी या निष्प्रभाव हो जाएगी; तथापि, अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

2019 का अध्यादेश सं॰ 13

6. (1) केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 को निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची

[धारा 4 (1)(क) देखिए]

क्र॰ सं॰	उत्कर्ष संस्था, आदि का नाम
(1)	(2)

1. होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई और उसकी घटक इकाइयां, अर्थात्:—

   (i) भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर, ट्राम्बे;

   (ii) इंदिरा गांधी सेंटर फार एटोमिक रिसर्च, कलपक्कम;

   (iii) राजा रमन्ना सेंटर फार एडवांस्ड टैक्नोलाजी इंदौर;

   (iv) इंस्टीट्यूट फार प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर;

   (v) वैरिएबल इनर्जी साइक्लोट्रान सेंटर, कोलकाता;

   (vi) साहा इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, कोलकाता;

   (vii) इंस्टीट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर;

   (viii) इंस्टीट्यूट आफ मैथेमेटिकल साइंसेज, चेन्नई;

   (ix) हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद;

   (x) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई।

2. टाटा इंस्टीट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई।

3. नार्थ—ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, शिलांग।

4. नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर, गुडगांव।

5. जवाहरलाल नेहरू सेंटर फार एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बैंगलौर।

6. फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद।

7. स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी, तिरुअनंतपुरम।

8. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून।

———

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 11)

[15 जुलाई, 2019]

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्, (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह 2 मार्च, 2019 को प्रवृत्त होगा।

धारा 3क का संशोधन।

1973 का 59

2. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 3क की उपधारा (*2*) में, ''एक वर्ष की अवधि के भीतर'' शब्दों के स्थान पर ''दो वर्ष की अवधि के भीतर'' शब्द रखे जाएंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां।

3. (1) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2019 निरसित किया जाता है। 2019 का अध्यादेश सं॰ 11

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। 1973 का 59

———

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 12)

[16 जुलाई, 2019]

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2)(क) इस अधिनियम के उपबंध धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (i) के सिवाय, 26 सितम्बर, 2018 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे; और

(ख) धारा 2 के खंड (ग) का उपखंड (i), 12 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 3क का संशोधन।

2. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 3क में,— 1956 का 102

(क) उपधारा (1) में, ''भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, (संशोधन) अधिनियम, 2010'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे; 2010 का 32

(ख) उपधारा (2) में, ''तीन वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''दो वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (4) में,—

(i) ''सात से अनधिक ऐसे व्यक्तियों'' शब्दों के स्थान पर, ''बारह से अनधिक ऐसे व्यक्तियों'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''और आयुर्विज्ञान शिक्षा'' शब्दों के स्थान पर, ''और आयुर्विज्ञान शिक्षा या साबित प्रशासनिक सामर्थ्य और अनुभव'' शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(7क) शासी बोर्ड की सहायता ऐसे महासचिव द्वारा की जाएगी जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर या संविदा आधार पर की जाएगी और वह परिषद् में सचिवालय का प्रधान होगा।''।

निरसन और व्यावृत्तियां।

3. (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को निरसित किया जाता है। 2019 का अध्यादेश सं॰ 5

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। 1956 का 102

———

दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 13)

[17 जुलाई, 2019]

दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 3 का संशोधन।

1948 का 16

2. दन्त-चिकित्सक अधिनियम, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खंड (च) में ''और कम से कम दो सदस्य राज्य रजिस्टर के भाग ख में दर्ज दन्त चिकित्सक होंगे'', शब्दों और अक्षर का लोप किया जाएगा।

धारा 21 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 21 में, खंड (ख) का लोप किया जाएगा।

धारा 23 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 23 में, खंड (ख) का लोप किया जाएगा।

———

आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 14)

[23 जुलाई, 2019]

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 का संशोधन करने तथा भारतीय तार अधिनियम, 1885 और धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

भाग 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश के रूप में है।

भाग 2

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 का संशोधन

2016 का अधिनियम संख्यांक 18 के वृहत् नाम का संशोधन।

2. आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसके पश्चात् इस भाग में मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम में, ''भारत की संचित निधि'' शब्दों के पश्चात् ''या राज्य की संचित निधि'' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(क) ''आधार संख्या'' से धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी पहचान संख्या अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत उस धारा की उपधारा (4) के अधीन जनित कोई वैकल्पिक परोक्ष पहचान भी है;';

(ii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(कक) ''आधार पारिस्थितिक तंत्र'' के अंतर्गत नामांकन अभिकरण रजिस्ट्रार, अनुरोध करने वाले अस्तित्व, ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाले अस्तित्व और कोई अन्य अस्तित्व या अस्तित्वों का समूह है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;';

(iii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(खक) ''न्यायनिर्णायक अधिकारी'' से धारा 33ख की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी अभिप्रेत है;

(खख) ''अपील अधिकरण'' से धारा 33ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील अधिकरण अभिप्रेत है;';

(iv) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(झक) ''बालक'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;';

(v) खंड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(तक) ''ऑफलाइन सत्यापन'' से ऐसी ऑफलाइन रीति के माध्यम से, जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अधिप्रमाणन के बिना आधार संख्या धारक की पहचान करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(तख) ''ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाला अस्तित्व'' से कोई ऐसा अस्तित्व अभिप्रेत है, जो किसी आधार संख्या धारक का ऑफलाइन सत्यापन करने की वांछा करता है;'।

धारा 3 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(4) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी की गई आधार संख्या बारह अंकों की पहचान संख्या होगी और किसी व्यक्ति की वास्तविक आधार संख्या के विकल्प के रूप में वैकल्पिक परोक्ष पहचान प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में जनित की जाएगी, जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।''।

नई धारा 3क का अंत:स्थापन।

5. मूल अधिनियिम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

बालकों की आधार संख्या।

''3क. (1) नामांकन अभिकरण, बालक के नामांकन के समय बालक के माता-पिता अथवा संरक्षक की सहमति मांगेगा और धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट ब्यौरों को माता-पिता अथवा संरक्षक को सूचित करेगा।

(2) कोई ऐसा बालक, जो आधार संख्या धारक है, अठारह वर्ष की आयु पूरी करने के छह मास की अवधि के भीतर प्राधिकरण को, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसकी आधार संख्या रद्द करने के लिए आवेदन करेगा और प्राधिकरण उसकी आधार संख्या रद्द करेगा।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी किसी बालक को अधिप्रमाणन द्वारा या आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करके अपनी पहचान स्थापित करने में असफलता के मामले में अथवा, उस बालक के मामले में, जिसे कोई आधार संख्या नहीं दी गई है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर किसी सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा से इंकार नहीं किया जाएगा।''।

धारा 4 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''(3) प्रत्येक आधार संख्या धारक, अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए, अधिप्रमाणन के माध्यम से या ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से या ऐसे अन्य रूप में, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अधिसूचित किया जाए, स्वेच्छया अपनी आधार संख्या को भौतिक या इलैक्ट्रानिक रूप में उपयोग कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अधिप्रमाणन के रूप में आधार संख्या के स्वेच्छया उपयोग से ऐसी आधार संख्या का केवल आधार संख्या धारक की अनुप्रमाणित सहमति से ही उपयोग अभिप्रेत है।

(4) किसी अस्तित्व को अधिप्रमाणन करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, यदि प्राधिकरण के यह समाधान हो जाता है कि अनुरोधकर्ता अस्तित्व—

(क) निजता और सुरक्षा के ऐसे मानकों का अनुपालन करता है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं; और

(ख) (i) अधिप्रमाणन सेवाएं आमंत्रित करने के लिए संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अनुज्ञात किए जाएं; या

(ii) ऐसे प्रयोजन के लिए अधिप्रमाणन चाहता है, जो केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण से परामर्श से और राज्य के हित में विहित करे।

(5) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा यह विनिश्चय कर सकेगा कि किसी अनुरोधकर्ता अस्तित्व को, या तो अधिप्रमाणन के दौरान वास्तविक आधार संख्या का उपयोग करने के लिए या केवल उसकी वैकल्पिक परोक्ष पहचान का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(6) प्रत्येक अनुरोधकर्ता अस्तित्व, जिसे उपधारा (3) के अधीन आधार संख्या धारक द्वारा अधिप्रमाणन का अनुरोध किया जाता है, आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन सूचित करेगा और उसे अधिप्रमाणन से इंकार करने या असमर्थ होने के कारण किसी सेवा से मना नहीं करेगा।

(7) पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी सेवा के प्रदान किए जाने के लिए किसी आधार संख्या धारक का आज्ञापक अधिप्रमाणन किया जाएगा, यदि ऐसा अधिप्रमाणन संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अपेक्षित है।''।

धारा 7 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 7 में, ''भारत की संचित निधि'' शब्दों के पश्चात्, जहां-जहां वे आते है ''या राज्य की संचित निधि'' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 8 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) में ''सहमति अभिप्राप्त करेगा'' शब्दों के पश्चात् ''या बालक के मामले में उसके माता-पिता अथवा संरक्षक की सहमति अभिप्राप्त करेगा'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु अनुरोधकर्ता अस्तित्व, वृद्धावस्था के कारण या अन्यथा रोग, क्षति या अक्षमता होने के कारण अथवा किन्हीं तकनीकी या अन्य कारणों से अधिप्रमाणन में असफलता के मामले में, व्यक्ति की पहचान के ऐसे वैकल्पिक या व्यवहार्य साधन प्रदान करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।'';

(ख) उपधारा (3) में ''व्यक्ति को'' शब्दों के पश्चात् ''या बालक के मामले में उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को'' शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 8क का अंत:स्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

आधार संख्या का ऑफलाइन सत्यापन।

''8क. (1) किसी आधार संख्या धारक का प्रत्येक ऑफलाइन सत्यापन इस धारा के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाला अस्तित्व—

(क) ऑफलाइन सत्यापन करने के पूर्व, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किसी व्यक्ति की सहमति या बालक के मामले में उसके माता-पिता अथवा संरक्षक की सहमति प्राप्त करेगा; और

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि ऑफलाइन सत्यापन के लिए किसी व्यक्ति से संग्रहीत कोई जनसांख्यिकीय सूचना या कोई अन्य सूचना केवल ऐसे सत्यापन के प्रयोजन के लिए ही उपयोग की जाए।

(3) ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाला अस्तित्व, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऑफलाइन सत्यापन करवाने वाले व्यक्ति को या बालक के मामले में उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को ऑफलाइन सत्यापन के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरों की सूचना देगा, अर्थात्:—

(क) ऑफलाइन सत्यापन में साझा की जाने वाली सूचना की प्रकृति;

(ख) ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाले अस्तित्व द्वारा ऑफलाइन सत्यापन के दौरान प्राप्त सूचना के किए जा सकने वाले उपयोग; और

(ग) अनुरोध की गई सूचना को प्रस्तुत करने के विकल्प, यदि कोई हों।

(4) ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाला कोई अस्तित्व—

(क) आधार संख्या धारक को अधिप्रमाणन के अधीन नहीं करेगा;

(ख) किसी प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की आधार संख्या या बायोमेट्रिक जानकारी संग्रहीत, उपयोग या भण्डारित नहीं करेगा;

(ग) उस पर किसी बाध्यता के विपरीत कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जैसा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।''।

धारा 21 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी।

''21. (1) प्राधिकरण ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित हों।

(2) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।''।

11. मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 23क का अंत:स्थापन।

''23क. (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, आदेश द्वारा, समय-समय पर आधार परिस्थितिक तंत्र में किसी अस्तित्व को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे। प्राधिकरण की निदेश जारी करने की शक्ति।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक निदेश आधार पारिस्थितिक तंत्र में उस अस्तित्व के द्वारा अनुपालन किया जाएगा, जिसे ऐसा निदेश जारी किया गया है।''।

12. मूल अधिनियम की धारा 25 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 25 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

''25. (1) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,— निधि।

(क) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, फीस और प्रभार; और

(ख) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियां, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए होगा—

(क) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन ओर भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी है; और

(ख) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए व्यय।''।

13. मूल अधिनियम की धारा 29 में,— धारा 29 का संशोधन।

(क) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) अनुरोधकर्ता अस्तित्व या ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाले अस्तित्व के पास उपलब्ध सूचना—

(क) अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत करते समय व्यक्ति को लिखित में सूचित प्रयोजनों से भिन्न, किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की जाएगी; या

(ख) अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत करते समय व्यक्ति को लिखित में सूचित प्रयोजनों से भिन्न, किसी प्रयोजन के लिए प्रकट नहीं की जाएगी:

परंतु खंड (क) और खंड (ख) के अधीन प्रयोजन व्यक्ति को समझने योग्य सुस्पष्ट और शुद्ध भाषा में होंगे।'';

(ख) उपधारा (4) में, ''या कोर बायोमैट्रिक सूचना'' शब्दों के स्थान पर, ''जनसांख्यिकीय सूचना या छायाचित्र'' शब्द रखे जाएंगे।

14. मूल अधिनियम की धारा 33 में,— धारा 33 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में,—

(क) ''जिला न्यायालय'' शब्दों के स्थान पर, ''उच्च न्यायालय'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक में ''प्राधिकरण को'' शब्दों के पश्चात्, ''तथा संबंधित आधार संख्या धारक को'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ग) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित, परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा।

अर्थात:—

''परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोर बायोमैट्रिक सूचना प्रकट नहीं की जाएगी।'';

(ii) उपधारा (2) में ''संयुक्त सचिव'' शब्दों के स्थान पर, ''सचिव'' शब्द रखे जाएंगे।

नए अध्याय 6क का अंत:स्थापन।

15. मूल अधिनियम के अध्याय 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''अध्याय 6क

सिविल शास्तियां

इस अधिनियम, नियमों, विनियमों और निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने पर शास्ति।

33क. जहां आधार पारिस्थितिक तंत्र में कोई अस्तित्व इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों या धारा 23क के अधीन प्राधिकरण को जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई सूचना, दस्तावेज, या रिपोर्ट की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसा अस्तित्व सिविल शास्ति का दायी होगा जो प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपए तक हो सकेगी और निरंतर असफलता के मामले में, अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा जो पहले उल्लंघन के पश्चात् असफलता जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए दस लाख रुपए तक हो सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति की रकम, यदि संदत्त न की गई हो तो, उसे वसूल की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो।

न्यायनिर्णयन की शक्ति।

33ख. (1) धारा 33क के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए तथा उसके अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्राधिकरण, प्राधिकरण का एक अधिकारी नियुक्त करेगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की रैंक से निम्न रैंक का नहीं होगा और उसके पास ऐसी अर्हता और अनुभव होगा, जो ऐसी रीति में जो विहित की जाए, जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी होने के लिए विहित किया जाए।

(2) प्राधिकरण द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय, उपधारा (1) के अधीन कोई जांच नहीं की जाएगी।

(3) जांच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी—

(क) आधार पारिस्थितिक तंत्र में अस्तित्व को, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा;

(ख) को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है, के लिए समन करने तथा उपस्थित कराने की शक्ति होगी।

(4) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी का, ऐसी जांच करने पर, यह समाधान हो जाता है कि आधार पारिस्थितिक तंत्र में कोई अस्तित्व इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों या धारा 23क के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहा है या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई सूचना, दस्तावेज या रिपोर्ट की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहा है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी, आदेश द्वारा, धारा 33क के अधीन ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

अपील अधिकरण को अपीलें।

33ग. (1) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14 के अधीन स्थापित दूर-संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के विनिश्चय के विरुदध् अपीलें सुनने के प्रयोजन के लिए अपील अधिकरण होगा। 1997 का 24

(2) आधार पारिस्थितिक तंत्र में धारा 33ख के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या अस्तित्व, अपील किए गए आदेश की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की

अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ, जो विहित किया जाए, अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा:

परंतु अपील अधिकरण पैंतालीस दिन की उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् भी अपील सुन सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे फाइल न करने का पर्याप्त कारण था।

(3) उपधारा (2) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, अपील अधिकरण पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात् उस पर अपील किए गए आदेश को संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करते हुए ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे।

(4) अपील अधिकरण उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति अपील के पक्षकारों तथा न्यायनिर्णायक अधिकारी को भेजेगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन फाइल की गई कोई अपील, अपील अधिकरण द्वारा यथासंभव त्वरित ढंग से निपटाई जाएगी और उसके द्वारा उस तारीख से, जिसमें अपील उसे प्रस्तुत की गई थी, छह मास की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करने का प्रत्येक प्रयास किया जाएगा।

(6) अपील अधिकरण उसके समक्ष अपील का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी अपील निपटाने के लिए सुंसगत अभिलेख मंगा सकेगा तथा ऐसे आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

1997 का 24

अपील अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां।

33घ. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14झ से धारा 14ट (दोनों सम्मिलित हैं) तथा धारा 16 और धारा 17 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, अपील अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में लागू होंगे, जैसे वे उस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन करने में लागू होते हैं।

1908 का 5

भारत के उच्चतम न्यायालय को अपील।

33ङ(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण के किसी आदेश के विरुद्ध, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, ऐसे आदेश से विधि का कोई सारवान् प्रश्न उद्भूत होने पर, उच्चतम न्यायालय में अपील होगी।

(2) अपील अधिकरण द्वारा किए गए किसी ऐसे विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी, जिस पर पक्षकार सहमत हो गए हैं।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस विनिश्चय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी:

परंतु उच्चतम न्यायालय पैंतालीस दिन की उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् भी अपील सुन सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उस फाइल न करने का पर्याप्त कारण था।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का न होना।

33च. किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिस पर इस अधिनियम के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपील अधिकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अवधारण करने के लिए सशक्त है, किसी सिविल न्यायालय को किसी वाद या कार्यवाही की अधिकारिता नहीं होगी, और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत शक्ति के अनुसरण में की गई किसी कार्रवाई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा।''।

धारा 38 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 38 में, ''तीन वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''दस वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 39 का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 39 में, ''तीन वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''दस वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 40 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

18. मूल अधिनियम की धारा 40 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुरोध करने वाले अस्तित्व या ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाले अस्तित्व द्वारा अप्राधिकृत उपयोग के लिए शास्ति।

''40. जो कोई,—

(क) अनुरोध करने वाले अस्तित्व होते हुए, धारा 8 की उपधारा (2) के उल्लंघन में किसी व्यक्ति की पहचान सूचना का उपयोग करेगा; या

(ख) आफलाइन सत्यापन चाहने वाला अस्तित्व होते हुए, धारा 8क की उपधारा (2) के उल्लंघन में किसी व्यक्ति की पहचान सूचना का उपयोग करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।''।

धारा 42 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 42 में, ''एक वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 47 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 47 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु न्यायालय, आधार संख्या धारक या व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर, धारा 34 या धारा 35 या धारा 36 अथवा धारा 37 या धारा 40 या धारा 41 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा।''।

नई धारा 50क का अंत:स्थापन।

21. मूल अधिनियम की धारा 50 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

आय पर कर से छूट।

''50क. आय-कर अधिनियम, 1961 या आय, लाभ या अभिलाभ पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण अपनी आय, लाभ या अभिलाभ के संबंध में आय-कर या कोई अन्य कर संदाय करने का दायी नहीं होगा।''। 1961 का 43

धारा 51 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 51 में, ''सदस्य, अधिकारी'' शब्दों के स्थान पर, ''सदस्य या अधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 53 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(कक) वह प्रयोजन, जिसके लिए अनुरोधकर्ता अस्तित्व को धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन अधिप्रमाणन के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया जाए;'';

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(छक) धारा 33ख की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी की अर्हता और अनुभव तथा उसकी नियुक्ति की रीति;

(छख) धारा 33ग की उपधारा (2) के अधीन अपील फाइल किए जाने का प्ररूप, रीति और फीस ;''।

धारा 54 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(क) धारा 2 के खंड (कक) के अधीन आधार पारिस्थितिक तंत्र में के अस्तित्व या अस्तित्व समूह, खंड (छ) के अधीन बायोमैट्रिक सूचना और खंड (ट) के अधीन जनसांख्यिकीय सूचना, खंड (ड) के अधीन नामांकनकर्ता अभिकरणों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना संगृहीत करने की प्रक्रिया तथा खंड (तक) के अधीन आधार संख्या धारक के आफलाइन सत्यापन की रीतियां,'';

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(खक) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन वैकल्पिक परोक्ष पहचान जनित करने की रीति;

(खख) ऐसी रीति, जिसमें धारा 3क की उपधारा (2) के अधीन आधार संख्या का रद्दकरण किया जाएगा ।''।

(iii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(गक) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अनुरोधकर्ता अस्तित्वों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले गोपनीयता और सुरक्षा के मानक;

(गख) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अनुरोधकर्ता अस्तित्वों का वर्गीकरण;'';

(iv) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(चक) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) के परंतुक के अधीन व्यक्ति की पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन;

(चख) धारा 8क की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन सहमति अभिप्राप्त करने की रीति, उपधारा (3) के अधीन ऑफ लाइन सत्यापन करने के लिए व्यक्ति को सूचना उपलब्ध करवाने की रीति और उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन ऑफ लाइन सत्यापन चाहने वाले अस्तित्वों के दायित्व ;''।

25. मूल अधिनियम की धारा 57 का लोप किया जाएगा। धारा 57 का लोप।

भाग 3

भारतीय तार अधिनियम, 1885 का संशोधन

26. भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 4 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— 1885 का अधिनियम संख्यांक 13 की धारा 4 का संशोधन।

'(3) कोई ऐसे व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन भारत के किसी भाग के भीतर तार यंत्रों की स्थापना, अनुरक्षण या चालन की अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, किसी ऐसे व्यक्ति की—

(क) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन अधिप्रमाणन द्वारा ; या 2016 का 18

(ख) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन ऑफ लाइन सत्यापन द्वारा; या 2016 का 18

(ग) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 4 के अधीन जारी पासपोर्ट के उपयोग द्वारा ; या 1967 का 15

(घ) पहचान का कोई अन्य ऐसा विधिमान्य शासकीय दस्तावेज या ढंग द्वारा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित अधिसूचित किया जाए, पहचान करेगा, जिसे वह अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है।

(4) यदि कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन भारत के किसी भाग के भीतर तार यंत्रों की स्थापना, अनुरक्षण या चालन की अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करने के लिए, जिसे वह अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है, उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन अधिप्रमाणन का उपयोग कर रहा है, तो वह उपधारा (3) के खंड (ख) से खंड (घ) के अधीन पहचान के अन्य ढंगों को भी ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा।

(5) उपधारा (3) के अधीन पहचान के ढंगों का उपयोग उस व्यक्ति का स्वैच्छिक विकल्प होगा, जो अपनी पहचान करवाना चाहता है और किसी भी व्यक्ति को आधार संख्या न होने के कारण किसी सेवा से इंकार नहीं किया जाएगा।

(6) यदि किसी व्यक्ति की पहचान के लिए उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन अधिप्रमाणन का उपयोग किया जाता है तो, न तो व्यक्ति की कोर बायोमैट्रिक सूचना का और न ही उसकी आधार संख्या का भंडारण किया जाएगा।

(7) उपधारा (3) उपधारा (4) और उपधारा (5) की कोई बात, केंद्रीय सरकार को, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे उस व्यक्ति की पहचान के संबंध में, जिसे वह सेवाएं उपलब्ध कराता है, उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, अनुपालन के लिए और रक्षोपाय तथा शर्तें विनिर्दिष्ट करने से निवारित नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण—''आधार संख्या'' और ''कोर बायोमैट्रिक सूचना'' पदों का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) और खंड (ञ) में उनका है ।'। 2016 का 18

भाग 4

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का संशोधन

नई धारा 11क का अंत:स्थापन।

27. धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (जिसे इस भाग में मूल अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 4 में, धारा 12 से पहले निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— 2003 का 15

रिपोर्टकर्ता इकाई द्वारा पहचान का सत्यापन।

'11क. (1) प्रत्येक रिपोर्टकर्ता इकाई द्वारा, उसके ग्राहकों और हिताधिकारी स्वामियों की पहचान का सत्यापन,—

(क) यदि रिपोर्टकर्ता इकाई कोई बैंककारी कंपनी है, तो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन अधिप्रमाणन द्वारा ; या 2016 का 18

(ख) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन ऑफ लाइन सत्यापन द्वारा ; या 2016 का 18

(ग) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 4 के अधीन जारी पासपोर्ट के उपयोग द्वारा ; या 1967 का 15

(घ) पहचान का कोई अन्य ऐसा विधिमान्य शासकीय दस्तावेज या ढंग द्वारा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित अधिसूचित किया जाए, करेगा:

परंतु केंद्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि बैंककारी कंपनी से भिन्न रिपोर्टकर्ता इकाई ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के ऐसे मानकों का पालन किया है और ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, अधिसूचना द्वारा, ऐसी इकाई को खंड (क) के अधीन अधिप्रमाणन का पालन करने की अनुज्ञा दे सकेगी: 2016 का 18

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन कोई अधिसूचना, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और समुचित विनियामक के परामर्श के बिना जारी नहीं की जाएगी। 2016 का 18

(2) यदि कोई रिपोर्टकर्ता इकाई, अपने ग्राहक या हिताधिकारी स्वामी की पहचान के सत्यापन के लिए उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अधिप्रमाणन का पालन करती है, तो वह उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन पहचान के अन्य ढंगों को ऐसे ग्राहक या हिताधिकारी स्वामी को उपलब्ध कराएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन पहचान के ढंगों का उपयोग ऐसे प्रत्येक ग्राहक या हिताधिकारी स्वामी का स्वैच्छिक विकल्प होगा, जो अपनी पहचान कराना चाहता है और किसी भी ग्राहक या हिताधिकारी स्वामी को आधार संख्या न होने के कारण सेवाओं से इंकार नहीं किया जाएगा।

(4) यदि किसी ग्राहक या हिताधिकारी स्वामी की पहचान के लिए उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अधिप्रमाणन या ऑफ लाइन सत्यापन का उपयोग किया जाता है तो, न तो उसकी कोर बायोमैट्रिक सूचना का और न ही उसकी आधार संख्या का भंडारण किया जाएगा।

(5) इस धारा की कोई बात, केंद्रीय सरकार को, उसके ग्राहक या हिताधिकारी स्वामी की पहचान के संबंध में किसी रिपोर्टकर्ता इकाई के लिए अतिरिक्त रक्षोपाय अधिसूचित करने से निवारित नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण,—''आधार संख्या'' और ''कोर बायोमैट्रिक सूचना'' पदों का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) और खंड (ञ) में उनका है ।

2016 का 18

28. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) में खंड (ग) और खंड (घ) का लोप किया जाएगा। धारा 12 का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (2) में खंड (ञ) और खंड (ञञ) का लोप किया जाएगा। धारा 73 का संशोधन।

2019 का अध्यादेश सं॰ 9

30. (1) आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 निरसित किया जाता है। निरसन और व्यावृत्तियां।

(2) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

———

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 15)

[23 जुलाई, 2019]

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

नई धारा 3ग और धारा 3घ का अंत:स्थापन।

2009 का 25

2. केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ख के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना।

"3ग. एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जो आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात एक निगमित निकाय होगा, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता का विस्तार इस अधिनियम की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य पर होगा।

आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना।

3घ. भारत की जनजातीय जनता के लिए प्राथमिक रूप से उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, आन्ध्र प्रदेश राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जो आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात एक निगमित निकाय होगा, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता का विस्तार इस अधिनियम की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य पर होगा।''।

धारा 5 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 के अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु धारा 3घ के अधीन स्थापित जनजातीय विश्वविद्यालय, जनजातीय उन्मुख उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान, जिसके अंतर्गत कला, संस्कृति और रूढ़ियां भी हैं, पर विशेष ध्यान देने के लिए अतिरिक्त उपाय करेगा।''।

पहली अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का रखा जाना।

4. मूल अधिनियम में, पहली अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

''पहली अनुसूची

[धारा 3(4) देखिए]

क्रम संख्या	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रीय अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य।
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य।
3.	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	बिहार राज्य में गंगा नदी के दक्षिण का राज्यक्षेत्र।
4.	बिहार	महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	बिहार राज्य में गंगा नदी के उत्तर का राज्यक्षेत्र।
5.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण गुजरात राज्य।
6.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण हरियाणा राज्य।
7.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य।
8.	जम्मू-कश्मीर	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	जम्मू-कश्मीर राज्य का कश्मीर प्रभाग।
9.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	जम्मू-कश्मीर राज्य का जम्मू प्रभाग।
10.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण झारखंड राज्य।
11.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण कर्नाटक राज्य।
12.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण केरल राज्य।
13.	ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण ओडिशा राज्य।
14.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण पंजाब राज्य।
15.	राजस्थान	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण राजस्थान राज्य।
16.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण तमिलनाडु राज्य।''।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 16)

[24 जुलाई, 2019]

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 1 का संशोधन।

2008 का 34

2. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) में, अंत में आने वाले ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ग) में, ''व्यक्तियों को'' शब्दों के पश्चात् ''और'' शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा;

(iii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(घ) ऐसे व्यक्तियों को, जो भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई अनुसूचित अपराध करते हैं;''।

धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) में, ''गठित विशेष न्यायालय'' शब्दों के स्थान पर, ''विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित सेशन न्यायालय'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 3 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में, ''भारत में'' शब्दों के पश्चात् ''और किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या संबंधित राष्ट्र की देशीय विधि के अधीन रहते हुए भारत के बाहर'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 6 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(8) जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के बाहर किसी ऐसे स्थान पर जहां इस अधिनियम का विस्तार है, कोई अनुसूचित अपराध किया गया है, तो वह अभिकरण को इस प्रकार मामला रजिस्टर करने और अन्वेषण प्रारंभ करने के लिए निदेश दे सकेगी, मानो ऐसा अपराध भारत में किया गया हो।

(9) उपधारा (8) के प्रयोजनों के लिए नई दिल्ली में स्थित विशेष न्यायालय की अधिकारिता होगी।''।

धारा 11 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, ''विशेष न्यायालयों का गठन करने'' शब्दों के स्थान पर ''सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

'(क) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से एक या अधिक सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करेगी।';

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''उच्च न्यायालय'' पद से उस राज्य का, जिसमें विशेष न्यायायल के रूप में अभिहित किया जाने वाला, कोई सेशन न्यायालय कार्य कर रहा है, उच्च न्यायालय अभिप्रेत है।';

(iii) उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) का लोप किया जाएगा;

(iv) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(8) शंकाओं को दूर करने के यह उपबंध किया जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट सेशन न्यायालय के सेशन न्यायाधीश द्वारा उस सेवा में, जिससे वह संबंधित है, उसे लागू होने वाले नियमों के अधीन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेना उसके विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बने रहने को प्रभावित नहीं करेगा और केंद्रीय सरकार के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख तक या उसके समक्ष मामले या मामलों का, जो उसे आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विचारण पूरा होने तक न्यायाधीश बना रहेगा।'';

(v) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(9) जब किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय अभिहित किए जाते हैं तो उनमें कारबार का वितरण ज्येष्ठतम् न्यायाधीश करेगा।''।

धारा 22 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 22 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, ''विशेष न्यायालयों का गठन करने'' शब्दों के स्थान पर, ''सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) में, ''एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन'' शब्दों के स्थान पर, ''एक या अधिक सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) में ''गठित'' शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, ''अभिहित'' शब्द रखा जाएगा।

अनुसूची का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की अनुसूची में,—

(i) क्रम सं॰ 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं॰ और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''1. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6);

1क. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33);'';

(ii) क्रम सं॰ 3 में, ''1982 (1982 का 65)'' अंकों, कोष्ठकों और शब्द के स्थान पर, ''2016 (2016 का 30)'' अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

(iii) क्रम सं॰ 8 में, प्रविष्टि (ख)'' के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''(ख) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 16 की धारा 370 और धारा 370क;

(ग) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 489क से धारा 489ङ, (जिसमें यह दोनों धाराएं सम्मिलित हैं);

(घ) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के अध्याय 5 की धारा 25 की उपधारा (1ककक);

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अध्याय 11 की धारा 66च।''।

———

नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 17)

[26 जुलाई, 2019]

सांस्थानिक माध्यस्थम् के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था का सृजन करने के लिए नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की स्थापना तथा उसका निगमन करने और अन्तरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण के लिए तथा माध्यस्थम् के बेहतर प्रबंधन के लिए उपक्रमों को नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र में निहित करने के प्रयोजनों के लिए जिससे नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र को संस्थागत माध्यस्थम् का केंद्र बनाया जा सके और उसे एक राष्ट्रीय महत्ता की संस्था घोषित करने के लिए तथा उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

विवाद समाधान प्रक्रिया का भारतीय अर्थव्यवस्था पर और हमारे देश में कारबार करने संबंधी वैश्विक बोध पर एक व्यापक प्रभाव है तथा वाणिज्यिक विवादों के मुदकमेबाजों के बीच विश्वास और साख प्रेरित करना आवश्यक हो गया है;

और अति परिवर्तनशील आर्थिक गतिविधियां विवादों के शीघ्र परिनिर्धारण तथा सांस्थानिक माध्यस्थम् के सृजन और स्थापना की मांग करती है;

और अन्तरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र की स्थापना केंद्रीय सरकार के तत्वावधान में वर्ष 1995 में की गई थी और इसे विकल्पी विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन करने के उद्देश्य से और उसके लिए सुविधाओं का उपबंध करने के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया था;

1860 का 21

और अन्तरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र को अवसंरचना का सन्निर्माण करने और अन्य सुविधाओं को बनाने के लिए अनुदानों और अन्य फायदों के माध्यम से केंद्रीय सरकार से भूमि और सारवान् वित्तपोषण प्राप्त हुआ है;

और दो दशकों से अधिक समय से अन्तरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधन केंद्र सक्रिय रूप से माध्यस्थम् पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित होने और उसमें हुए विकास को आत्मसात करने तथा माध्यस्थम् की परिवर्तनशील प्रकृति के साथ गति बनाए रखते हुए उत्कृष्टता की प्रतिष्ठा बनाने में समर्थ नहीं हो सका है;

और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति द्वारा किए गए अध्ययन यह उपदर्शित करते हैं कि अन्तरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र सांस्थानिक माध्यस्थम् की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने और अनुकूलतम रूप से मुकदमों को संभालने तथा माध्यस्थम् के पक्षकारों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने में असफल रहा है;

और अन्तरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र के उपक्रमों के, जिनके अंतर्गत उसके प्रादेशिक कार्यालय भी हैं, उसके कार्यकलापों में कोई हस्तक्षेप किए बिना और एक सोसाइटी के रूप में उसके चरित्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना कार्यभार को संभालना, किंतु उसकी विद्यमान अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का उपयोग करना, जिनकी स्थापना सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई लोक निधियों का उपयोग करते हुए की गई है, और नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के नाम से ज्ञात एक सुदृढ़ संस्था का घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् के लिए निगमन करना समीचीन हो गया है;

और त्वरित तथा दक्ष विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन करके नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र को, उसके एक प्रमुख माध्यस्थम् हब के रूप में समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय महत्ता की एक संस्था के रूप में घोषित करना आवश्यक समझा गया है;

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 है।

(2) यह 2 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''केंद्र'' से धारा 3 के अधीन स्थापित और निगमित नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अभिप्रेत है;

(ख) ''अध्यक्ष'' से धारा 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट केंद्र का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी'' से धारा 21 के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) ''समिति'' से धारा 19 में निर्दिष्ट केंद्र की सुसंगत समिति अभिप्रेत है;

(ङ) ''अभिरक्षक'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन उपक्रमों के संबंध में अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है;

(च) ''निधि'' से धारा 25 के अधीन बनाए रखे जाने वाली केंद्र की निधि अभिप्रेत है;

(छ) ''सदस्य'' से केंद्र का पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है;

(ज) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(झ) ''विहित'' से केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ञ) ''विनियम'' से केंद्र द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;

1860 का 21

(ट) ''सोसाइटी'' से, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत अन्तरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र अभिप्रेत है जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है;

(ठ) ''विनिर्दिष्ट तारीख'' से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख अभिप्रेत है;

(ड) ''उपक्रमों'' से सोसाइटी के उपक्रम अभिप्रेत है, जो धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हैं।

(2) सभी अन्य शब्दों और पदों, जिनका इसमें प्रयोग किया गया है, किंतु परिभाषित नहीं किया

1996 का 26

गया है और जो माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा, जो उनका उस अधिनियम में है।

अध्याय 2

नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की स्थापना और निगमन

नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की स्थापना और निगमन।

3. (1) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के नाम से ज्ञात एक निकाय की स्थापना करेगी।

(2) केंद्र पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और समाान्य मुद्रा होगी, जिसे इस विधेयक के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा तथा उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा।

नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की राष्ट्रीय महत्ता की संस्था के रूप में घोषणा।

4 (1) नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के उद्देश्य ऐसे हैं, जो उसे राष्ट्रीय महत्ता की संस्था बनाते हैं, अत: यह घोषित किया जाता है कि नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र एक राष्ट्रीय महत्ता की संस्था है।

(2) केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली होगा और यह केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भारत और विदेशों में अन्य स्थानों पर शाखाएं स्थापित कर सकेगा।

केंद्र की संरचना।

5. केंद्र निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नियुक्त कोई व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या माध्यस्थम् के संचालन या प्रशासन, विधि या प्रबंध में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाला कोई विख्यात व्यक्ति—अध्यक्ष;

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दो विख्यात व्यक्ति जिनके पास घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय, दोनों प्रकार के सांस्थानिक माध्यस्थम् में सारवान् ज्ञान और अनुभव हो—पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा चक्रानुक्रम के अधार पर चयनित वाणिज्य और उद्योग के किसी मान्यताप्राप्त निकाय का एक प्रतिनिधि—अंशकालिक सदस्य;

(घ) सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय या संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का उसका प्रतिनिधि—सदस्य, पदेन;

(ङ) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट एक वित्तीय सलाहकार—सदस्य, पदेन; और

(च) मुख्य कार्यपालक अधिकारी—सदस्य, पदेन।

अध्यक्ष और सदस्यों, आदि की सेवा के निबंधन और शर्तें।

6. (1) अध्यक्ष और सदस्य, उनके द्वारा अपना पद धारण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे:

परंतु कोई अध्यक्ष या सदस्य उस रूप में, अध्यक्ष की दशा में सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् और सदस्य की दशा में सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा संदेय वेतन और भत्ते वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(3) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त सदस्य की पदावधि उस सदस्य की शेष पदावधि होगी, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है।

(4) अंशकालिक सदस्य ऐसे यात्रा और अन्य भत्तों के हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं।

अध्याय 3

सोसाइटी के उपक्रमों का अर्जन और अंतरण

अंतरण और निहित होना।

7. विनिर्दिष्ट तारीख से ही, सोसाइटी के उतने उपक्रम, जो सोसाइटी का भाग हैं या उससे संबंधित हैं और ऐसे उपक्रमों के संबंध में सोसाइटी का अधिकार, हक और हित इस अधिनियम के कारण केंद्रीय सरकार को अंतरित हो जाएंगे तथा उसमें निहित होंगे।

निहित होने का साधारण प्रभाव।

8. (1) धारा 7 के अधीन निहित उपक्रमों में सोसाइटी की ऐसी सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा सभी संपत्ति (जंगम और स्थावर), जिसके अंतर्गत भूमि, भवन, संकर्म, परियोजनाएं, लिखतें, आटोमोबाइल और अन्य यान, नकद अतिशेष, निधियां जिनके अंतर्गत आरक्षित निधियां, विनिधान और लेखा बही ऋण भी है, जो सोसाइटी के भाग हैं या उससे संबंधित हैं और ऐसी संपत्तियों से उद्भूत अन्य अधिकार और हित, जो नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अध्यादेश, 2019 के प्रारंभ की तारीख से ठीक पूर्व सोसाइटी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थे तथा सभी लेखा बहियां, रजिस्टर तथा उनसे संबंधित किसी भी प्रकृति के अन्य सभी दस्तावेज सोसाइटी में निहित हो जाएंगे। 2019 का अध्यादेश सं॰ 10

(2) यथा पूर्वोक्त सभी संपत्तियां और आस्तियां, जो धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हैं, ऐसे निहित होने के कारण किसी न्यास, बाध्यता, आडमान, प्रभार, धारणाधिकार और सभी अन्य विल्लंगमों, जो उन्हें प्रभावित करते हैं से मुक्त और उन्मोचित होंगी या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी कुर्की, व्यादेश, डिक्री या ऐसी परिसंपत्तियों या आस्तियों के किसी रीति में उपयोग को निर्बंधित करने के आदेश या ऐसी संपूर्ण परिसंपत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग के संबंध में किसी प्रापक की नियुक्ति को प्रतिसंहृत किया गया समझा जाएगा।

(3) सोसाइटी को किसी उपक्रम के संबंध में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व किसी समय अनुदत्त और विनिर्दिष्ट तारीख से तुरन्त पूर्व प्रवृत्त कोई अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत, जो धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हैं, ऐसी तारीख को और उसके पश्चात् अपनी कार्यावधि के लिए तथा ऐसे उपक्रम के संबंध में और उसके प्रयोजन के लिए जारी रहेंगे या जहां उपक्रमों को धारा 10 के अधीन केंद्र में निहित किए जाने का निदेश किया गया है, केंद्र को ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत में इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, मानों ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत को केंद्र को अनुदत्त किया गया है और केंद्र उस शेष अवधि के लिए उन्हें धारित करेगा, जिसके लिए सोसाइटी उनको उनके निबंधनों के अधीन धारित करती।

(4) यदि विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसी परिसंपत्ति या आस्ति, जो धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित है, के संबंध में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, चाहे किसी भी प्रकृति की हो, सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या आरंभ की जाती है, लंबित है, तो उसका उपशमन नहीं किया जाएगा, उसे बंद नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार से सोसाइटी में उपक्रमों के अर्जन के कारण इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगी, किंतु केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या जहां सोसाइटी के उपक्रमों को धारा 10 के अधीन केंद्र में निहित होने का निदेश दिया गया है, वहां केन्द्र द्वारा या उसके विरुद्ध वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को जारी रखा जा सकेगा, अभियोजित किया जा सकेगा या उसे प्रवर्तन में लाया जा सकेगा।

विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व दायित्व।

9. विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व किसी अवधि की बाबत किसी उपक्रम के संबंध में प्रत्येक दायित्व सोसाइटी के विरुद्ध और न कि केंद्रीय सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा।

केंद्रीय सरकार की उपक्रम को केंद्र में निहित करने का निदेश देने की शक्ति।

10. (1) केंद्रीय सरकार, धारा 7 और धारा 8 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि ऐसे उपक्रम और ऐसे उपक्रमों की बाबत सोसाइटी के अधिकार, हक और हित, जो धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित किए गए थे, या तो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या ऐसी पूर्वतर या पश्चात्वर्ती तारीख को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, केंद्र में निहित हो जाएंगे।

(2) जहां सोसाइटी के किन्हीं उपक्रमों की बाबत उपधारा (1) के अधीन अधिकार, हक और हित केंद्र में निहित हैं, केंद्र ऐसे निहित होने की तारीख से ही ऐसे उपक्रमों की बाबत स्वामी समझा जाएगा और ऐसे उपक्रमों की बाबत केंद्रीय सरकार के हित और उत्तरदायित्व ऐसे निहित होने की तारीख से ही क्रमशः केंद्र के अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे।

उपक्रमों का प्रबंध, आदि।

11. (1) ऐसे उपक्रमों, जिनके संबंध में अधिकार, हित, धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हैं, का साधारण अधीक्षण, निदेश, नियंत्रण और प्रबंध,—

(क) जहां धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा कोई निदेश दिया गया है, केंद्र में निहित होगा; या

(ख) जहां केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया है, उपधारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अभिरक्षक में निहित होगा, और तदुपरांत, यथास्थिति, केंद्र या इस प्रकार नियुक्त अभिरक्षक ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कृत्यों का निर्वहन करने का हकदार होगा, जैसे सोसाइटी अपने उपक्रमों की बाबत प्रयोग या निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत है।

(2) केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को ऐसे उपक्रमों की बाबत, जिनके संबंध में धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश नहीं दिया गया है, अभिरक्षक नियुक्त कर सकेगी।

(3) इस प्रकार नियुक्त अभिरक्षक ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, जो केंद्रीय सरकार नियत करे और केंद्रीय सरकार के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।

उपक्रमों के प्रबंध के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियां परिदत्त करने का कर्तव्य।

12. (1) केंद्र में उपक्रमों के प्रबंध को निहित करने या धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन किसी अभिरक्षक की नियुक्ति पर, ऐसे निहित करने या नियुक्ति से तुरंत पूर्व उपक्रमों के प्रबंध के भारसाधक सभी व्यक्ति, यथास्थिति, केंद्र या अभिरक्षक को अपनी अभिरक्षा में के उपक्रमों से संबंधित सभी आस्तियों, लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त करने के लिए आबद्ध होंगे।

(2) केंद्रीय सरकार अभिरक्षक को, अभिरक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों के संबंध में ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह मामले की परिस्थितियों में वांछनीय समझे और अभिरक्षक भी यदि ऐसा करना आवश्यक समझता है तो किसी भी समय केंद्रीय सरकार को उस रीति, जिसमें उपक्रमों के प्रबंध का संचालन किया जाना है, के संबंध में या ऐसे प्रबंध के अनुक्रम में उद्भूत किसी अन्य विषय के संबंध में अनुदेशों हेतु आवेदन कर सकेगा।

(3) कोई व्यक्ति, जिसके पास या जिसके नियंत्रणाधीन विनिर्दिष्ट तारीख को उपक्रमों के संबंध में कोई बहियां, दस्तावेज या अन्य कागजपत्र हैं, ऐसी बहियों, दस्तावेजों या अन्य कागजपत्रों के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या अभिरक्षक को हिसाब देने के लिए दायी होगा और उन्हें केंद्रीय सरकार या अभिरक्षक या केंद्र या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को परिदत्त करेगा, जैसा इस निमित्त केंद्रीय सरकार या केंद्र विनिर्दिष्ट करे।

(4) केंद्रीय सरकार या केंद्र ऐसे सभी उपक्रमों, जिनको इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार या केंद्र में निहित किया गया है, को कब्जे में लेने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा या उठवाएगा।

2019 का अध्यादेश सं॰ 10

(5) सोसाइटी ऐसी कालावधि के भीतर, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार अनुज्ञात करे, उस सरकार को नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अध्यादेश, 2019 के प्रारंभ होने की तारीख को उपक्रमों के संबंध में उसकी सभी परिसंपत्तियों और आस्तियों की एक पूर्ण माल सूची प्रस्तुत करेगी और इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या अभिरक्षक या केंद्र, सोसाइटी या निकाय को सभी युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करेगा।

केंद्रीय सरकार या केंद्र की कतिपय शक्तियां।

13. केंद्रीय सरकार या अभिरक्षक या केंद्र, विनिर्दिष्ट तारीख तक सभी अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए किसी धन, जो सोसाइटी के ऐसे उपक्रमों की बाबत सोसाइटी को शोध्य हैं, जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या अभिरक्षक या केंद्र में निहित हैं और जिनकी नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अध्यादेश, 2019 के प्रारंभ के पश्चात् वसूली की गई है, इस बात के होते हुए भी कि वसूली नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अध्यादेश, 2019 के प्रारंभ होने से पूर्व किसी कालावधि के लिए है, को प्राप्त करने का हकदार होगा। 2019 का अध्यादेश सं॰ 10

केंद्र के उद्देश्य।

14. केंद्र के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे,—

(क) अन्तरराष्ट्रीय और घरेलू माध्यस्थम् संचालित करने के लिए एक अग्रणी संस्था के रूप में स्वयं का विकास करने के लिए लक्ष्यित सुधार करना;

(ख) माध्यस्थम, सुलह, मध्यकता और अन्य विकल्पी विवाद समाधान विषयों में अनुसंधान और अध्ययन का संवर्धन करना, शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करना तथा सम्मेलन और संगोष्ठियां आयोजित करना;

(ग) सुलह, मध्यकता और माध्यस्थम् कार्यवाहियों के लिए सुविधाएं और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करना;

(घ) प्रत्याशित मध्यस्थों, सुलहकर्ताओं और मध्यकर्तों का राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर या विशेषज्ञों, जैसे कि सर्वेक्षकों और अन्वेषकों का पैनल बनाए रखना;

(ङ) केंद्र की माध्यस्थम् और सुलह में एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में साख को सुनिश्चित करने के लिए अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग करना;

(च) केंद्र के कार्यकलापों का संवर्धन करने के लिए भारत और विदेश में सुविधाएं स्थापित करना;

(छ) केंद्र द्वारा अंगीकृत किए जाने वाले विकल्पी विवाद समाधान तंत्रों के विभिन्न ढंगों के लिए पैरामीटर अधिकथित करना; और

(ज) ऐसे अन्य उद्देश्य, जिन्हें वह केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से उचित समझे।

केन्द्र के कृत्य।

15. धारा 14 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र निम्नलिखित के लिए प्रयास करेगा,—

(क) अत्यधिक वृत्तिक रीति में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू माध्यस्थमों और सुलह के संचालन को सुकर बनाने;

(ख) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माध्यस्थमों और सुलह के संचालन के लिए सस्ती और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने;

(ग) विकल्पी विवाद समाधान के क्षेत्र और अन्य संबद्ध विषयों में अध्ययनों का संवर्धन करने और विवाद समाधान की प्रणाली में सुधारों का संवर्धन करने;

(घ) विकल्पी विवाद समाधान के क्षेत्र और अन्य संबद्ध विषयों में अध्यापन प्रारंभ करने और विधि तथा प्रक्रियाओं के ज्ञान के प्रसार के लिए उपबंध करने और प्रमाणपत्रों तथा अन्य शैक्षणिक या वृत्तिक उपाधियों को प्रदान करने;

(ङ) विकल्पी विवाद समाधान के क्षेत्र और अन्य संबद्ध विषयों में ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने, जो माध्यस्थम्, सुलह और मध्यकता संबंधी कार्यवाही कर रहे हैं;

(च) विकल्पी विवाद समाधान का संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अन्य सोसाइटियों, संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग करने; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करने, जो विकल्पी विवाद समाधान का संवर्धन करने के लिए केंन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।

रिक्तियों, आदि का केन्द्र की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना।

16. केन्द्र की कोई कार्रवाई या कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) केन्द्र में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) केन्द्र के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) केन्द्र की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है।

सदस्यों का त्यागपत्र।

17. अध्यक्ष या पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक सदस्य, लिखित में केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपनी हस्ताक्षरयुक्त सूचना देकर, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा:

परंतु अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे उससे पूर्व उसका पद त्याग करने की अनुमति न दी जाए, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा उसका पदग्रहण करने तक या उसकी पदावधि के अवसान तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पदधारण करना जारी रखेगा।

सदस्यों का हटाया जाना।

18. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी, यदि,—

(क) वह कोई अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ख) वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय (अंशकालिक सदस्य के सिवाय) किसी संदाययुक्त नियोजन में नियोजित होता है; या

(ग) उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनके कारण सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बना रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया है; या

(च) वह सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य को उस उपधारा के खंड (घ) और खंड (ङ) मे विनिर्दिष्ट आधारों पर उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उच्चतम न्यायालय द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त उसे किए गए किसी प्रतिनिर्देश पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार उसके द्वारा की गई जांच पर यह रिपोर्ट न किया गया हो कि सदस्य को ऐसे आधार पर आधारों पर हटाया जाना आवश्यक है।

केन्द्र की समितियां।

19. (1) केन्द्र ऐसे समितियों का गठन कर सकेगा, जो उसके द्वारा उसके कृत्यों के विभिन्न पहलुओं के प्रशासन के लिए आवश्यक समझी जाएं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समितियों की संरचना और उनके कृत्य वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(3) समिति ऐसे समय पर और ऐसे स्थानों पर अपनी बैठक करेगी और वह अपनी बैठकों में कारगार के संव्यवहार के संबंध में ऐसे प्रक्रिया नियमों, जिनके अंतर्गत गणपूर्ति भी है, का पालन करेगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

केन्द्र की बैठकें।

20. (1) अध्यक्ष सामान्य रूप से केन्द्र की बैठकों की अध्यक्षता करेगा:

परंतु उसकी अनुपस्थिति में, अन्य सदस्यों द्वारा उनके बीच में से चुना गया सदस्य बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(2) अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि केन्द्र द्वारा किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन किया जाता है।

(3) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित किए जाएं।

(4) केन्द्र एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठकें करेगा और अपनी बैठकों में ऐसी प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है, का ऐसी रीति में अनुपालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(5) ऐसे सभी प्रश्नों, जो किसी बैठक के दौरान केन्द्र के समक्ष आते हैं—

(क) का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की समानता की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास निर्णायक मत होगा;

(ख) के संबंध में यथासंभव शीघ्र कार्यवाही की जाएगी और केन्द्र उनका निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर करेगा:

परंतु जहां ऐसे किसी आवेदन का निपटारा साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर नहीं किया जा सका था, वहां केन्द्र उक्त आवेदन का उस अवधि के भीतर निपटारा न करने के लिए कारणों को लिखित में लेखबद्ध करेगा।

(6) अध्यक्ष केन्द्र की बैठकों में भाग लेने के लिए किसी विशेषज्ञ को, जो सदस्य नहीं है, आमंत्रित कर सकेगा किन्तु ऐसा आमंत्रिती बैठक में मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

21. (1) केन्द्र का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो केन्द्र के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा और वह इस प्रयोजन के लिए केन्द्र और सचिवालय के बीच सम्पर्क बनाए रखेगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति, अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं या जो केन्द्र द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

22. केन्द्र, अपनी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, एक साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित शक्तियों (विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) और कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनका प्रयोग या निर्वहन केन्द्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकेगा और साथ ही वह ऐसी शर्तों और निर्बधनों, यदि कोई हों, को भी विहित करेगा, जिनके अधीन शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन किया जा सकेगा।

सचिवालय।

23. (1) केन्द्र का एक सचिवालय होगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(क) रजिस्ट्रार जो केन्द्र के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करेगा;

(ख) काउंसेल, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् से संबंधित मामलों के संबंध में कार्यवाही करेगा; और

(ग) ऐसी संस्था में अन्य अधिकारी और कर्मचारी, जो विहित की जाए।

(2) रजिस्ट्रार, काउंसेल और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की अर्हताएं, अनुभव, चयन की पद्धति और कृत्य वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

अध्याय 4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

24. केन्द्रीय सरकार, इस निमित संसद द्वारा विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात् केन्द्र को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशियों का और ऐसी रीति में, जिसे वह उचित समझे, संदाय कर सकेगी, जिनका उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

केन्द्र की निधि।

25. (1) केन्द्र एक निधि बनाए रखेगा, जिसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा,—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी धनराशियों;

(ख) माध्यस्थम्, सुलह, मध्यकता या अन्य कार्यवाहियों के दौरान या उनके संबंध में प्राप्त सभी फीसों और अन्य प्रभारों;

(ग) केन्द्र द्वारा पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रसुविधाओं हेतु उसे प्राप्त सभी धनराशियों;

(घ) केन्द्र द्वारा संदानों, अनुदानों, अभिदायों और अन्य स्रोतों से आय के रूप में प्राप्त सभी धनराशियों; और

(ङ) निवेश की गई आय से प्राप्त रकमों।

(2) निधि में जमा की गई सभी धनराशियों को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या ऐसी रीति में उनका निवेश किया जाएगा, जैसा कि केन्द्र द्वारा विनिश्चय किया जाए।

(3) निधि का उपयोग सदस्यों के वेतन और अन्य भत्तों के संदाय की पूर्तियों के लिए और केन्द्र के व्ययों के लिए किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी है।

लेखा और संपरीक्षा।

26. (1) केन्द्र समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किए जाने वाले प्ररूप और रीति में लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी है।

(2) केन्द्र के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत व्यय केन्द्र द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और उनके द्वारा केन्द्र के लेखाओं की संपरीक्षाओं के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के पास ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के पास सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उनके पास विशिष्ट रूप से बहियों, लेखाओं, संबद्ध वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और केन्द्र के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और उनके द्वारा केन्द्र के लेखाओं की संपरीक्षाओं के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित केन्द्र के लेखाओं को, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

उपक्रम की आस्तियों और दायित्वों का निर्धारण।

27. इस अधिनियम के अधीन किसी उपक्रम के संबंध में आस्तियों और दायित्वों का निर्धारण, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा ऐसी रीति में, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, करवाया जाएगा और उसके संबंध में किए गए किसी दावे के संबंध में किसी संदाय का समाधान, उसके द्वारा सोसाइटी और केन्द्रीय सरकार के बीच कराया जाएगा और उसका संदाय, यथास्थिति, सोसाइटी या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्याय 5

माध्यस्थम् चैंबर और माध्यस्थम् अकादमी

माध्यस्थम् चैंबर।

28. (1) केन्द्र एक माध्यस्थम् चैंबर की स्थापना करेगा, जो मध्यस्थों के एक स्थायी पैनल को बनाए रखने के लिए मध्यस्थों को पैनलबद्ध करेगा और साथ ही विख्यात मध्यस्थों के पैनल में प्रविष्टि हेतु आवेदनों की संवीक्षा करेगा।

(2) माध्यस्थम् चैंबर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुभव प्राप्त विख्यात माध्यस्थम् व्यवसायियों और ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, जिनके पास विकल्पी विवाद समाधान और सुलह के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।

(3) केन्द्र, विनियमों द्वारा काडर के पैनल में प्रवेश हेतु मानदंड अधिकथित करेगा, जिससे विख्यात मध्यस्थों का एक पूल बनाया जा सके, जिनके पास अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न माध्यस्थम् में विशेषज्ञता हो।

(4) केन्द्र के सचिवालय का रजिस्ट्रार माध्यस्थम् चैंबर के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा।

माध्यस्थम् अकादमी।

29. (1) केन्द्र निम्नलिखित के लिए एक माध्यस्थम् अकादमी की स्थापना कर सकेगा—

(क) मध्यस्थों को प्रशिक्षित करने, विशिष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् के क्षेत्र में विख्यात अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् संस्थाओं के साथ प्रतियोगिता करने हेतु;

(ख) विकल्पी विवाद समाधान और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करने; और

(ग) अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुझाव देने।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, अधिनियम के अधीन नियमों और विनियमों में संशोधनों, यदि कोई हों, की आवश्यकता के सबंध में केन्द्र को सुझाव देने और इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक तीन सदस्यीय स्थायी समिति का गठन किया जा सकेगा।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति।

30. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,—

(क) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य की सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उन्हें संदेय वेतन और भत्तों;

(ख) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अंशकालिक सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्तों;

(ग) धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समितियों की संरचना और कृत्यों;

(घ) धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन केन्द्र के सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या;

(ङ) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्र के रजिस्ट्रार, काउंसेल और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की अर्हताओं, अनुभव, चयन की पद्धति और कृत्यों;

(च) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं के वार्षिक विवरण, जिनके अंतर्गत तुलनपत्र भी हैं; और

(छ) ऐसे किसी अन्य विषय, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन उपबंध किया जाना है या किया जा सकेगा।

विनियम बनाने की शक्ति।

31. (1) केन्द्र, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा, जो ऐसे सभी विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, जिनके लिए इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावी करने के प्रयोजनों हेतु उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,—

(क) धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन समिति की बैठकों के समय और स्थान तथा उनमें कारबार के संव्यवहार के संबंध में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया के नियमों, जिनके अंतर्गत गणपूर्ति भी है;

(ख) धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्र या किसी समिति की बैठक का समय और स्थान तथा उसमें कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया नियम, जिनके अंतर्गत गणपूर्ति भी है;

(ग) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति, अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें;

(घ) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां और कृत्य;

(ङ) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन माध्यस्थम् पूल में प्रवेश के लिए मानदंड; और

(च) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में, सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के अनुपालन के लिए उपबंध किया जाना आवश्यक है।

नियमों और विनियमों का रखा जाना।

32. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पूर्व उस नियम या विनियम के अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

33. केन्द्र, उसके अध्यक्ष या सदस्यों या इसके कर्मचारियों और मध्यस्थों के विरुद्ध, उनके द्वारा की गई ऐसी किसी बात के लिए, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या जिसका किया जाना आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं लाई जाएंगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

34. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

2019 का अध्यादेश सं॰ 10

35. (1) नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र अध्यादेश, 2019 का इसके द्वारा निरसन किया जाता है।

2019 का अध्यादेश सं॰ 10

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र अध्यादेश, 2019 के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

———————

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 19)

[27 जुलाई, 2019]

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

1994 का 10

2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) में—

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

2016 का 49

'(खक) ''मुख्य आयुक्त'' से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 74 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है;';

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(छक) ''राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग'' से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है;'; 1993 का 27

(iii) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(जक) ''राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग'' से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है;'। 2006 का 4

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) में ''उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति'' शब्दों के स्थान पर ''भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (घ) में ''दो सदस्य'' शब्दों के स्थान पर ''तीन सदस्य जिनमें से कम से कम एक सदस्य महिला होगी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग,'' शब्दों के स्थान पर, ''राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग,'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (4) में, '' आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा'' से आरंभ होने वाले और ''यथास्थिति, आयोग या अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करे'' पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, आयोग की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों (सिवाय न्यायिक कृत्यों और धारा 40ख के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के) का प्रयोग करेगा''।

धारा 6 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) ''पांच वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अंत में आने वाले ''पद धारण करेगा'' शब्दों के पश्चात्, ''और वह पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) ''पांच वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''पांच वर्ष की और अवधि के लिए'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 21 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(i) उपधारा (2) के खंड (क) में, ''मुख्य न्यायमूर्ति'' शब्दों के स्थान पर, ''मुख्य न्यायमूर्ति या कोई न्यायाधीश'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) में, ''राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो राज्य आयोग उसे प्रत्यायोजित करे'' शब्दों के स्थान पर, ''अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते

हुए राज्य आयोग की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(7) धारा 12 के उपबंधों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली से भिन्न संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों को आदेश द्वारा ऐसे राज्य आयोग को सौंप सकेगी।

(8) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र की दशा में मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों के संबंध में आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।''।

धारा 24 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 24 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) ''पांच वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अंत में आने वाले ''पद धारण करेगा'' शब्दों के पश्चात्, ''और वह पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) ''पांच वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''पांच वर्ष की और अवधि के लिए'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 20)

[31 जुलाई, 2019]

विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और
उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा
विवाह-विच्छेद का प्रतिषेध करने और उससे
संबंधित या उसके आनुषंगिक
विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह 19 सितंबर, 2018 को लागू हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''इलैक्ट्रोनिक रूप'' का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में उसका है; 2000 का 21

(ख) ''मजिस्ट्रेट'' से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उस क्षेत्र में, जहां विवाहित मुस्लिम महिला निवास करती है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है; और 1974 का 2

(ग) ''तलाक'' से तलाक-ए-बिद्दत या तलाक का कोई अन्य वैसा ही रूप अभिप्रेत है, जो किसी मुस्लिम पति द्वारा उद्घोषित तुरंत और अप्रतिसंहरणीय विवाह-विच्छेद का प्रभाव रखने वाला है।

अध्याय 2

तलाक की घोषणा का शून्य और अवैध होना

तलाक का शून्य और अवैध होना।

3. किसी मुस्लिम पति द्वारा उसकी पत्नी के लिए, शब्दों द्वारा, चाहे वे बोले गए हों या लिखे गए हों या इलैक्ट्रोनिक रूप में या किसी अन्य रीति में हों, वे जो भी हों, तलाक की कोई उद्घोषणा शून्य और अवैध होगी।

तलाक की उद्घोषणा करने के लिए दंड।

4. कोई मुस्लिम पति, जो अपनी पत्नी के लिए धारा 3 में निर्दिष्ट तलाक की उद्घोषणा करता है, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

अध्याय 3

विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा

निर्वाह भत्ता।

5. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई ऐसी विवाहित मुस्लिम महिला, जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई है, अपने पति से स्वयं के लिए और आश्रित संतानों के लिए निर्वाह भत्ते की ऐसी रकम को प्राप्त करने के लिए हकदार होगी, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाए।

अवयस्क संतानों की अभिरक्षा।

6. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई विवाहित मुस्लिम महिला, उसके पति द्वारा तलाक की उद्घोषणा किए जाने की दशा में, ऐसी रीति में, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाए, अपनी अवयस्क संतानों की अभिरक्षा के लिए हकदार होगी।

अपराध का संज्ञेय, शमनीय, आदि होना।

7. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी,— 1974 का 2

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध तब संज्ञेय होगा, यदि अपराध के किए जाने से संबंधित इत्तिला किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को उस विवाहित मुस्लिम महिला, जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई है या उससे रक्त या विवाह द्वारा संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाती है;

(ख) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध उस विवाहित मुस्लिम महिला के आवेदन पर, जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई है, मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो मजिस्ट्रेट अवधारित करे, शमनीय होगा;

(ग) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर तक छोड़ा नहीं जाएगा, जब तक अभियुक्त द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर और उस विवाहित मुस्लिम महिला, जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई है, की सुनवाई करने के पश्चात् मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं।

निरसन और व्यावृत्तियां।

8. (1) मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) दूसरा अध्यादेश, 2019 का निरसन किया जाता है। 2019 का अध्यादेश सं॰ 4

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) दूसरा अध्यादेश, 2019 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। 2019 का अध्यादेश सं॰ 4

सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 24)

[1 अगस्त, 2019]

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख का प्रवृत्त होगा जो केंन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 13 का संशोधन।

2005 का 22

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 13 में,—

(क) उपधारा (1) में, ''उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, ''उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं:

परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात्, उनके लिए अलाभकर रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना उसी प्रकार जारी रहेगा मानो सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू ही नहीं हुआ था।''।

धारा 16 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(क) उपधारा (1) में, ''उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, ''उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं:

परंतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकर रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना उसी प्रकार जारी रहेगा मानो सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू ही नहीं हुआ था।''।

धारा 27 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

''(गक) धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा धारा 16 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि;

(गख) धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;''।

———————

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 25)

[5 अगस्त, 2019]

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

2012 का 32

2. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) उपधारा (1) के खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(घक) ''बालक संबंधी अश्लील सामग्री'' से किसी बालक को संलिप्त करते हुए लैंगिक

संबध बनाने के आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, डिजिटल या कम्प्यूटर जनित ऐसी आकृति, जो वास्तविक बालक के समान लगे और सृजित, रूपांतरित या परिवर्तित हो, किन्तु बालक का चित्र प्रतीत होने वाली आकृति भी है;'';

(ख) उपधारा (2) में, ''किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे। 2000 का 56 2016 का 2

धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 को उसकी धारा 4(1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और—

(क) इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) में ''सात वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''दस वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(2) जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, पीड़ित के चिकित्सा व्ययों की पूर्ति और पुनर्वास के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा।''।

धारा 5 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(I) खंड (ञ) में,—

(अ) उपखंड (i) में, अंत में आने वाले ''या'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(आ) उपखंड (iii) में, अंत में आने वाले ''या'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(इ) उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iv) बालक की मृत्यु हो जाती है; या'';

(II) खंड (ध) में, ''सामुदायिक या पंथिक हिंसा'' शब्दों के स्थान पर ''सांप्रदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान या प्राकृतिक आपदा की स्थिति या उस प्रकार की किन्हीं भी स्थितियों के दौरान'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 6 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड।

''6. (1) जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा या मृत्यु से दंडित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, पीड़ित के चिकित्सा व्ययों की पूर्ति और पुनर्वास के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा।''।

धारा 9 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) खंड (ध) में, ''सामुदायिक या पंथिक हिंसा'' शब्दों के स्थान पर ''सांप्रदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान या प्राकृतिक आपदा की स्थिति या उस प्रकार की किन्हीं भी स्थितियों के दौरान'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (प) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(फ) जो कोई इस आशय से कि कोई बालक शीघ्र लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करे, किसी बालक को कोई ओषधि, हार्मोन या कोई रासायनिक पदार्थ लिए जाने के लिए प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है, फुसलाता है या प्रपीड़ित करता है या देता है या देने के लिए किसी को निदेश देता है या लिए जाने में सहायता करता है;''।

धारा 14 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड।

''14. (1) जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा तथा दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करके, ऐसे अश्लील कृत्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, धारा 3 या धारा 5 या धारा 7 या धारा 9 में निर्दिष्ट कोई अपराध करेगा, वह उक्त अपराधों के लिए उपधारा (1) में उपबंधित दंड के अतिरिक्त क्रमश: धारा 4, धारा 6, धारा 8 और धारा 10 के अधीन भी दंडित किया जाएगा।''।

धारा 15 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

बालकों को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड।

''15. (1) कोई भी व्यक्ति, जो बालक संबंधी अश्लील सामग्री को साझा या पारेषित करने के आशय से किसी बालक को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारकरण करता है या रखता है, किंतु उसे मिटाने या नष्ट करने या ऐसे अभिहित प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, रिपोर्ट करने में असफल रहता है, वह पांच हजार रुपए से अन्यून के जुर्माने से और दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो किसी बालक को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजन के सिवाय, जो विहित किया जाए, या न्यायालय में उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के सिवाय किसी भी समय, किसी भी रीति में पारेषण या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण करता है, वह किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो किसी बालक को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारकरण करता है या रखता है, वह पहली दोषसिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा और दूसरी और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में किसी भी भांति के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।''।

धारा 34 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 34 में, ''किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

2000 का 56
2016 का 2

धारा 42 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 42 में, ''भारतीय दंड संहिता की धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन'' शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, ''भारतीय दंड संहिता की धारा 376ङ, धारा 509 के अधीन या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67ख के अधीन'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

1860 का 45

2000 का 21

धारा 45 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (2) के खंड (क) को खंड (कख) के रूप में पुन: अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: अक्षरांकित खंड (कख) से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(क) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन किसी बालक को संलिप्त करने वाली किसी भी रूप में की अश्लील सामग्री को मिटाने या नष्ट करने या अभिहित प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की रीति;

(कक) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन किसी बालक को संलिप्त करने वाली किसी भी रूप में की अश्लील सामग्री के बारे में रिपोर्ट करने की रीति;''।

———————

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 26)

[5 अगस्त, 2019]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 5 का संशोधन।

2016 का 31

2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 के खंड (26) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी समाधान योजना

में निगमित ऋणी की पुन: संरचना करने के लिए उपबंध सम्मिलित हो सकेंगे, जिनके अंतर्गत विलयन, समामेलन और निर्विलयन के माध्यम से समाधान भी है;''।

धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने व्यतिक्रम की विद्यमानता को अभिनिश्चित नहीं किया है और ऐसे समय के भीतर धारा 5 के अधीन कोई आदेश पारित कर दिया है, तो वह ऐसा करने के लिए अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।''।

धारा 12 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया को दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से तीन सौ तीस दिन की अवधि के भीतर आज्ञापक रूप से पूरा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इस धारा के अधीन निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए मंजूर किया गया अवधि का कोई विस्तार और निगमित ऋणी की ऐसी समाधान प्रक्रिया के संबंध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में लिया गया समय भी है:

परंतु यह भी कि जहां किसी निगमित ऋणी की दिवाला समाधान प्रक्रिया लंबित है और उसे दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया गया है, वहां ऐसी समाधान प्रक्रिया को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।''।

धारा 25क का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 25क की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(3क) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, धारा 21 की उपधारा (6क) के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि ऐसे सभी वित्तीय लेनदारों, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, की ओर से, ऐसे वित्तीय लेनदारों के, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने अपना मत डाला है, मतदान शेयर के पचास प्रतिशत से अधिक के मत द्वारा किए गए विनिश्चय के अनुसार अपना मत डालेगा:

परंतु धारा 12क के अधीन किसी आवेदन के संबंध में डाले जाने वाले मत के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार अपना मत डालेगा।''।

धारा 30 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 30 में,—

(क) उपधारा (2) में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ख) प्रचालन लेनदानों के ऋणों के संदाय के लिए ऐसी रीति में उपबंध करती है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और जो,—

(i) धारा 53 के अधीन निगमित ऋणी के परिसमापन की दशा में ऐसे लेनदारों को संदत्त की जाने वाली रकम से; या

(ii) ऐसी रकम से, जो ऐसे लेनदारों को उस समय संदत्त की गई होती, यदि समाधान योजना के अधीन वितरित की जाने वाली रकम को धारा 53 की उपधारा (1) में पूर्विकता के क्रमानुसार वितरित किया गया होता,

इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगी और ऐसे वित्तीय लेनदारों के, जो समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, ऋणों के संदाय के लिए, ऐसी रीति में उपबंध करती है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, जो निगमित ऋणी के परिसमापन की दशा में धारा 53 की उपधारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को संदत्त की जाने वाली रकम से कम नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के उपबंधों के अनुसार किया गया कोई वितरण ऐसे लेनदारों के लिए उचित और साम्यापूर्ण होगा।

स्पष्टीकरण 2—इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से ही इस खंड के उपबंध किसी निगमित ऋणी की निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया को भी वहां लागू होंगे,—

(i) जहां किसी समाधान योजना को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है या उसे नामंजूर कर दिया गया है;

(ii) जहां धारा 61 या धारा 62 के अधीन कोई अपील की गई है या ऐसी कोई अपील तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध के अधीन समय वर्जित नहीं है; या

(iii) जहां किसी समाधान योजना के संबंध में न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के विनिश्चय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई विधिक कार्यवाही आरंभ की गई है;'';

(ख) उपधारा (4) में, ''उसकी साध्यता और व्यवहार्यता तथा'' शब्दों के स्थान पर ''उसकी साध्यता और व्यवहार्यता, प्रस्तावित वितरण की रीति, जिसका निर्धारण करते हुए धारा 53 की उपधारा (1) में यथा अधिकथित रूप से लेनदारों के बीच पूर्विकता, जिसके अंतर्गत किसी प्रतिभूत लेनदार के प्रतिभूति हित की पूर्विकता और मूल्य भी है, के क्रम को ध्यान में रख सकेगा तथा'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

धारा 31 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) में, ''सदस्यों, लेनदारों,'' शब्दों के पश्चात् ''प्रतिभूतिदाताओं और समाधान योजना में सम्मिलित अन्य पणधारियों पर जिनके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार या ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी भी है, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्भूत होने वाले शोध्यों के संदाय के संबंध में ऐसे प्राधिकारी के रूप में कोई ऋण देय हैं, जिनको कानूनी शोध्य देय होते हैं,'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 33 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह घोषणा की जाती है कि लेनदारों की समिति, धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन उसके गठन के पश्चात् और समाधान योजना के पुष्टिकरण से पूर्व किसी भी समय, जिसके अंतर्गत सूचना ज्ञापन तैयार करने से पूर्व का कोई समय भी है, निगमित ऋणी का परिसमापन करने का विनिश्चय कर सकेगी।''।

धारा 240 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 240 की उपधारा (2) के खंड (ब) में, ''प्रचालन लेनदारों के ऋणों का प्रतिसंदाय करने की रीति'' शब्दों के स्थान पर ''ऋणों का संदाय करने की रीति'' शब्द रखे जाएंगे।

———————

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 47)

[12 दिसम्बर, 2019]

नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

1955 का 57

2. नागरिकता अधिनियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के ऐसे व्यक्ति को, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उसके पूर्व भारत में प्रविष्ट हुआ और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा या उसके अधीन अथवा विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों या उसके अधीन किए गए किसी आदेश के लागू होने से छूट प्रदान की गई है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अवैध प्रवासी के रूप में नहीं माना जाएगा;''।

1920 का 34
1946 का 31

नई धारा 6ख का अंत:स्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 6क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थपित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के परंतुक के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता के बारे में विशेष उपबंध।

'6ख. (1) केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी, ऐसी शर्तों, निर्बंधनों और रीति के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, इस निमित्त किए गए आवेदन पर, धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगी।

(2) धारा 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करने या तृतीय अनुसूची के उपबंधों के अधीन देशीयकरण की अर्हताओं के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति को, जिसे उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, उसके भारत में प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा।

(3) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से ही इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध अवैध प्रव्रजन या नागरिकता के संबंध में लंबित किसी भी कार्यवाही का, उसे नागरिकता प्रदत्त किए जाने पर उपशमन हो जाएगा:

परंतु ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसके विरुद्ध कार्यवाही लंबित है और केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उस आधार पर उसका आवेदन अस्वीकार नहीं करेगा, यदि वह अन्यथा इस धारा के अधीन नागरिकता अनुदत्त किए जाने के लिए अर्हित पाया जाता है:

परंतु यह और कि ऐसे व्यक्ति को, जिसने इस धारा के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन किया है, ऐसा आवेदन करने के आधार पर, उसके ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, जिनके लिए वह उसके आवेदन की प्राप्ति की तारीख को हकदार था।

(4) इस धारा की कोई बात, संविधान की छठी अनुसूची में यथा सम्मिलित असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्र और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम, 1873 के अधीन अधिसूचित ''आंतरिक रेखा'' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को लागू नहीं होगी।'। 1873 का विनियम 5

धारा 7घ का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 7घ में,—

(i) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(घक) भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक ने इस अधिनियम के किसी उपबंध का या तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी अन्य विधि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के उपबंधों का अतिक्रमण किया है; या'';

(ii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक को सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता।''।

धारा 18 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में, खंड (ङङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ङङ) धारा 6ख की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की शर्तें, निर्बंधन और रीति;''।

तीसरी अनुसूची का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की तीसरी अनुसूची के खंड (घ) में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'परन्तु अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के व्यक्ति के लिए इस खंड के अधीन यथापेक्षित भारत में निवास या भारत में की किसी सरकार की सेवा की कुल अवधि को ''ग्यारह वर्ष से कम नहीं'' के स्थान पर ''पांच वर्ष से कम नहीं'' के रूप में पढ़ा जाएगा।'।

———————

डॉ॰ जी॰ नारायण राजू,
सचिव, भारत सरकार।

MGIPMRND—318GI(S3)—18.12.2020.

SUBIR NARAYAN GARAI Digitally signed by SUBIR NARAYAN GARAI Date: 2020.12.18 19:16:06 +05'30'